15/07 तहसीलदार बनाम आधिवासी आदिवासी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-11-20 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० वकील अप्रार्थी उप० साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार गंगापुर को लिखा जाकर पत्रावली दि० 1-12-20 को पेश हो।	
1-12-2020 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~दौरा पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-1-2021 को पेश हो। रीडर	
5-1-2021 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० वकीलों द्वारा कार्य स्थगन। साक्ष्य प्रार्थी हेतु पत्रावली दि० 2-2-2021 को पेश हो।	
2-2-2021 लैण्ड होल्डर स्वयं ही ~~के प्रतिनिधि~~ उप०। साक्ष्य नहीं कराना चाहते हैं। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 15-2-2021 को पेश हो।	
15-2-2021 लैण्ड होल्डर उप०। प्रा०पत्र 136 L.R. Act. अस्वीकार किया जाता है एवं विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली ... दुरुस्त होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested

15/2007	तारीख रजू 12.3.2007	तारीख निर्णय 15.2.2021

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गंगापुर की खतौनी बन्दोबस्त सम्बर 2003 ल0 2022 मे माफी मंदिर रघुनाथजी पुजारी मथुरालाल वल्द गणेशलाल ब्राह्मण का देह की खातेदारी में ख0न0 722 रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 723 रकबा 9 बिस्वा, ख0न0 724 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 725 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 726 रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 ... रकबा 14 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज है। संवत 2019 मे भूमि एकीकरण विभाग ने पैरा संख्या 1 मे अंकित खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 413/1 रकबा 1 बीघा, 413/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा बनाये है। भूमि एकीकरण ने ख0न0 413/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा को बिना किसी आदेश/नामान्तकरण के टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम गंगापुर सिटी के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज कर दिया गया है। हॉल भूप्रबन्ध विभाग ने पैरा संख्या 2 अंकित खसरा नम्बरा की भूमि के मिलान क्षेत्रफल मे कोई नम्बर नही बनना बताया है। भूमि एकीकरण के नक्शा एवं हॉल नक्शे का मिलान करने पर पैरा संख्या 2 में अंकित खसरा नम्बरान की भूमि के मिलान क्षेत्रफल मे कोई नम्बर नही बनना बताया हैं। भूमि एकीकरण के नक्शा एवं हॉल नक्शे का मिलान करने पर पैरा संख्या 2 मे अंकित खसरा नम्बर की भूमि को भूप्रबन्ध विभाग ने नवीन ख0न0 463 रकबा 25.90 है0 मे शामिल कर गैर मु0 आबादी सिवायचक मे बिना किसी आदेश के दर्ज किया है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2060–63 मे हॉल ख0न0 463 रकबा 25.90 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी सिवायचक मे दर्ज है। भूमि एकीकरण विभाग ने माफी मंदिर की भूमि को मद संख्या 3 के अनुसार टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम गंगापुर सिटी के नाम एवं भूप्रबन्ध विभाग ने मद संख्या 4 के अनुसार गैर मु0 आबादी सिवायचक मे बिना किसी आदेश व नामान्तकरण के अवैधानिक रूप से दर्ज की है जो विधी सम्मत नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 व 4 मे अंकित इन्द्राजात को निरस्त कर ग्राम गंगापुर के हॉल ख0न0 463 रकब 25.90 है0 मे से 1.37 है0 भूमि माफी मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:58:04 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि नियमानुसार टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम गंगापुर सिटी के नाम दर्ज हुई है। यह भूमि नगर पालिका गंगापुर सिटी की है तथा प्रार्थी रिकार्ड से व मौके की स्थिति से प्रार्थना पत्र साबित करे। भूमि नगर पालिका की है जिस पर घनी आबादी है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने नकल जमाबंदी सं0 2019 भूमि एकीकरण, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, नकल जमाबंदी संवत 2060–2063 नकल साबिक नक्शा ट्रेस व हॉल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की बहस सुनी गई।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख नकल जमाबंदी संवत 2003–2022 के अनुसार वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नं0 722 लगायत 727 एवं 731 ग्राम गंगापुर माफी मंदिर रघुनाथजी पुजारी मन्नालाल वल्द गणेशलाल जाति ब्राह्मण सा.देह की खातेदारी मे दर्ज है। भूमि एकीकरण के दौरान इन नम्बरों के नवीन ख0न0 413/1 रकबा 1 बीघा एवं ख0न0 413/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा बनाये गये है। नकल खतौनी एकीकरण संवत 2019 के अनुसार ख0न0 413/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा को टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम गंगापुर सिटी के नाम दर्ज कर दिया गया है। किन्तु भूप्रबन्ध मे 413/2 का कोई पृथक से नम्बर नही बनाया गया है परन्तु तहसीलदार के कथनानुसार भूप्रबन्ध के दौरान इस भूमि को ख0न0 463 रकबा [illegible] है0 गैरमुमकिन आबादी मे शामिल कर दिया गया है। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत राजस्व अभिलेख मे दर्ज खातेदारी प्रविष्ठियों को परिवर्तित करवाना चाहता है जबकि इस धारा के तहत लिपिकीय त्रुटि अथवा माईनर गलती को ही शुद्ध किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि, भूमि एकीकरण के दौरान ही टाउन इम्प्रूवमेन्ट के नाम लगा दी गयी है। हमारी राय प्रस्तुत मामला धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत दुरूस्ती योग्य नही बनता है। प्रस्तुत मामले मे वादपत्र के माध्यम से ही दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested

(3)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल.आर. एक्ट अस्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि को पुनः मंदिर के नाम दर्ज करवाने हेतु विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करे। लैण्ड होल्डर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वापिस लौटाये जावे।

पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested